



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2988]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2019/भाद्र 21, 1941

No. 2988]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2019/BHADRA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

(आय-कर)

का.आ. 3266(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड(V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. संख्यांक 2413 (अ), तारीख 13 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 18 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक
(1)	(2)	(3)
“19	2019-20	289”

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चात्वर्ती वर्षों पर लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 63/2019/फा. सं. 370142/11/2019-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. 2413(अ), तारीख 13 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।